

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं.....५६/2025

दायरा दिनांक : १७/०३/२०२५




प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

कै.ला.सि. ३२१ मेमबाली नि.२४२६५

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिषियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
१७/३/२५	<p>न्यायालय हाजा में वादी/प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली दिनांक २१/३/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> १७/३/२५</p>	
२१/३/२५	<p>पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। वादी/प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। क्र.सं. २०७२-७५ की जमाबंदी सं. प्र. १०१/२०१५ तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी/प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। तहसीलदार पिडावा को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p> <p style="text-align: right;"> २१/३/२५</p> <p style="text-align: center;">(दिनेश कुमार मीना) सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा</p>	

रिपोर्ट तहसीलदार/पेशेवार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/140

दिनांक: 21/3/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सोतपिश के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज झुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/ सोतपिश


आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/46

दिनांक: 21.3.25

वादी/प्राथी के ग्राम सोतपिश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज झुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सोतपिश की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित शारणी के कॉलम 4 में अंकित झुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना शर्तकार किया जाता है। तहसीलदार सोतपिश को आवेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में शारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



सोतपिश
21/3/25
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)